


3



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Office of Commissioner
Cum
Director General School Education



Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax: 91(0172)-2701347
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर 17-बी चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स 91 (0172) 2701347
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. & DATE

आदेश क्रमांक 9/10-09 PS (2) दिनांक, पंचकुला 7.06.2011
हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 से निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए
E-Max International School Gola (Ambala) को कक्षा -1 से 10वीं तक केन्द्रीय माध्यमिक
विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी
जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का
स्तर बढ़ाने हेतु सम्बधता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय स्थाई मान्यता
आदेश क्रमांक 9/10-09 PS (2) दिनांक 16.05.2011 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने
वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की
अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं०
2039/AMB/10th/BOSE/2011 है।

अश्वनी कुमार
अतिरिक्त निदेशक,
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला: 7-6-11

पृष्ठाकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रबन्धक समिति, Asha Ram Aggarwal Education & Research Society Chd.
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, Ambala.
- 5- मुख्यध्यापक, E-Max International School, Gola (Ambala).
6. टेक्नोलोजी ऑफिसर।

अधीक्षक पी.एस. 7-6-11
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला।